

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक ता०..... से तक
जिला सं..... स० 20.....

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विविध वाद सं० 14/19

अम्बिका प्रसाद यादव बनाम धनी पासवान वगै०


29.1.2020
प्रस्तुत वाद ग्राम कुरहागढ, थाना कटकमसाण्डी, जिला हजारीबाग के अम्बिका प्रसाद यादव, कामेश्वर यादव, भुनेश्वर यादव एवं अन्य के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। इनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा कुरहागढ के खाता नं० 12 एवं खाता नं० 20 कुल रकबा 7.5 ए० को धनी पासवान पिता पुहल पासवान, रसूल मियाँ पिता हेमन मियाँ, बैजनाथ यादव पिता स्व० मंगल यादव, बंशी यादव पिता छट्टू यादव के द्वारा गैरकानून एवं नजायज ढंग से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है आवेदन के आलोक में विपक्षीयता को सूचना निर्गत की गई। उक्तके द्वारा उपस्थित होकर अपना कागजात जमा किया गया एवं लिखित रूप में पक्ष रखा गया।

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात एवं उनके द्वारा दाखिल जवाब से प्रतीत होता है कि मौजा कुरहागढ, थाना नं० 18 सर्वे खतियान में खाता नं० 12 खेवट नं० 02 लगान पाने वाला बाबू धूरुप नारायण सिंह दर्ज है तथा रैयत कॉलम में टीको महतो वल्द शुक्ल महतो तीन आना वो रघू महतो वल्द बेदो महतो दो आना वो दोदो वो मोदी पेशरान जगल महतो वो चोलो महतो वल्द हिरो महतो वा हिस्सा बराबर पाँच आना वो पच्चू गोड़ाई वल्द झक्कर, कौम दुसाध हिस्सा तीन आना कुल रकबा 19.60 ए० दर्ज है। खाता नं० 20 खेवट नं० 02 भू-स्वामी धूरुप नारायण सिंह वगै० है। खतियान में देवा जोल्हा वल्द तनु हिस्सा तीन आना दो पाई वो खेमन वो नुनु वो तिको पेशरान डाडू कौम जोल्हा वा हिस्सा बराबर एक आना दो पाई वो बुधू वल्द छतरधारी महतो कौम गोवार हिस्सा एक आना वो सेवल वो मनु पेशरान गोदो वो वजीर वल्द लट्टू कौम दुसाध वा हिस्सा बराबर एक आना दो पाई वो बुधन हजाम वल्द गुलाब वो अमृत वो लालमन पेशरान डमर कौम हजाम व हिस्सा दो पाई वो जगू वो लालो पेशरान मनी वो होरिल वल्द पुनित कौम जोल्हा वा हिस्सा बराबर चार आना वो बंधन वो हुलास पेशरान डलू कौम गोवार वा हिस्सा बराबर दो आना वो भीखन वो पेमन पेशरान सुखाड़ी कौम दुसाध वा हिस्सा बराबर एक आना दो पाई वो जयराम वल्द डाडू कौम गोवार हिस्सा दो पाई प्लॉट नं० 535 वगै० कुल प्लॉटों की सं० 34 रकबा 16.94 ए० है। कुँवर चन्द्र मोलेश्वर नारायण सिंह वल्द गजेन्द्र नारायण सिंह को दुलहिन श्रीमती बिमला कुमारी पति चन्द्र मोलेश्वर नारायण सिंह के दिनांक 31.01.1947 को पट्टा द्वारा खाता नं० 20 एवं खाता नं० 12 रकबा 18.98 ए० दिया गया था। पुनः बिमला कुमारी पति चन्द्र मोलेश्वर नारायण सिंह द्वारा दिनांक 16.08.69 को खाता नं० 12 रकबा 4.81 ए०, खाता नं० 20 रकबा 30 डी० कुल रकबा 5.11 ए० चोवा महतो पिता वकील महतो को केवाला द्वारा बिक्री किया गया जिसका निबंधन कोलकाता में हुआ। हलांकि केवाला में कुल रकबा 7.42 ए० दर्ज है। जबकि योग करने से कुल रकबा 5.11 ए० होता है। दिनांक 23.09.70 को बिमला कुमारी पति चन्द्र मोलेश्वर नारायण सिंह ने चोवा महतो को खाता 20 एवं खाता नं० 12 अन्तर्गत कुल रकबा

2.37ए0 बिक्री की गई। जिसका जमाबंदी पंजी 02 के पृष्ठ सं0 121/1 पर दर्ज है। रकबा 5.11ए0 जो बिक्री पश्चात रकबा 4.84ए0 बचा है। तथा पृष्ठ सं0 126/1 पर 2.37ए0 बिक्री पश्चात 2.24 2/5ए0 दर्ज है। रसीद 2016-17 तक निर्गत है। पूर्व में भी इस विवाद से संबंधित तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जाँच कराई गई थी। तथा जाँच प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक 435 दिनांक 14.07.2017 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, हजारीबाग को भेजा गया था। उस पत्र में अम्बिका प्रसाद का दखल बताया गया है। उपरोक्त जमीन पर एक विविध वाद नेमिया एवं अन्य तथा श्रीमती बिमला कुमारी पति चन्द्र मोलेश्वर नारायण सिंह के विरुद्ध अंचल न्यायालय में चला था। जिसे तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा 24.08.62 को अस्वीकृत कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपर समाहर्ता न्यायालय में अपील दायर किया गया था। जिसे भी अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः माननीय आयुक्त के यहाँ रिवीजन नं0 146/63 दायर किया गया जिसे अपील कर्ता द्वारा वापस ले लिया गया।

वर्तमान में द्वितीय पक्ष के द्वारा पार्टीशन शूट 89/19 सिविल जज 01 न्यायालय में दाखिल किया गया जो अभी लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान में इस भूमि पर लगान रसीद प्रथम पक्ष अम्बिका यादव के नाम से निर्गत हो रहा है। तथा इसपर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन का आदेश नहीं है। जहाँ तक पार्टीशन शूट वाद सं0 89/19 का प्रश्न है उक्त वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित होगा अन्तिम रूप से वही प्रभावी होगा। ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष का इस भूमि पर दावा सही प्रतीत नहीं होता है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


अंचल अधिकारी,
कटकमसाण्डी।